न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

2023-49 RAAJodhpur2023-11RTA223 Gordhansingh Vs Pappusingh etc

गोरधनसिंह पुत्र छगनसिंह, जाति रावणा राजपूत, निवासी- ग्राम खींचन, तहसील फलोदी, जिला जोधपुर।

--- अपीलाण्ट

ब

ना

म

1. पप्पूसिंह पुत्र छगनसिंह
2. भंवरी कंवर पुत्री छगनसिंह
3. सुशीला कंवर पुत्री छगनसिंह
4. किरण कंवर पुत्री छगनसिंह जाति रावणा-राजपुत
   सभी निवासीगण- ग्राम खींचन, तहसील फलोदी, जिला जोधपुर।
5. तहसीलदार फलोदी, जिला जोधपुर।

--- रेस्पोडेण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक) फलोदी द्वारा दिनांक 20 दिसंबर 2022 राजस्व मूल वाद संख्या 25/2021 पप्पूसिंह बनाम गोरधनसिंह इत्यादि

--- 0 ---

उपस्थित -

श्री रोशनलाल, अधिवक्ता अपीलांट

श्री पूनाराम विश्नोई, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 1 से 4

श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 5

नि र्ण य

दिनांक : 11 अक्टूबर 2023

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक) फलोदी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20 दिसंबर 2022 राजस्व मूल वाद संख्या 25/2021 अनवान पप्पूसिंह बनाम गोरधनसिंह इत्यादि के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी

11.10.23

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 13 जनवरी 2023 को पेश की गयी है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी/रेस्पोडेंट संख्या एक ने एक वाद घोषणा, बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 307 रकबा 67 बीघा 06 बिस्वा ग्राम खींचन तहसील फलोदी के संबंध में प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 20 दिसंबर 2022 को निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी कर दी, जिसके विरूद्ध आलौच्य अपील प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रकरण विचारण न्यायालय में जवाब में लंबित चल रहा था, जिसमें विधिनुसार समयण पूर्ण होने से पूर्व ही जवाब बंद किये बिना ही प्राथमिक डिक्री जारी कर दी तथा वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, जिस कारण अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर नही मिल सका तथा अपीलार्थी अपना पक्ष न्यायालय के समक्ष नही रख सका। इस कारण भी आलौच्य निर्णय एवं डिक्री प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने के कारण अपास्त योग्य है। वाद में बिना साक्ष्य के ही प्रकरण का निस्तारण किया गया है जो वाद साक्ष्य के अभाव में ही अपास्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही प्रकरण में सीधी बहस सुनकर निस्तारण किया गया है जो विधिक प्रक्रिया की पालना किये बिना पारित किया गया है। वादग्रस्त आराजी सहखातेदारी की भूमि नहीं है। पक्षकारान् द्वारा आपसी सहमति से प्रशासन गांवो के संग अभियान-2010 के तहत आपसी सहमति से बंटवाड़ा कर

11.5.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

लिया गया है। पूर्व बंटवाड़े को निरस्त करवाये बिना बंटवाड़ा का नवीन वाद कानूनन् पोषणीय नहीं है, इसके बावजूद भी बंटवाड़े का वाद प्रस्तुत किया जो खारिज किये जाने योग्य है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट्स स्वीकार फरमायी जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20 दिसंबर 2022 अपास्त किये जावे तथा मामला अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाकर विधिक प्रक्रिया के तहत दोनो पक्षों को जवाब एवं सुनवाई का अवसर दिये जाने के पश्चात विधि अनुसार निर्णय पारित किये जाने का आदेश फरमावे।

जवाब में विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट्स ने अपनी बहस में अपीलांट के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट पर सम्यक तामील करवाये जाने के बाद उनकी ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए थे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को जवाब प्रस्तुति का समुचित अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद भी अपीलांट द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जमाबंदी में दर्ज हिस्से अनुसार ही विधिसम्मत निर्णय एवं डिक्री पारित की है। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

11.X.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

उभयपक्षकारान के अधिवक्तागण की उपरोक्त बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया गया एवं पत्रावलियों पर उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त अध्ययन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन मुताबिक पत्रावली विचारण न्यायालय में प्रतिवादी के जवाब में विचाराधीन चल रही थी। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट को जवाब प्रस्तुति एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना तथा वाद विचारण की प्रक्रिया की पालना किये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के विपरीत पारित किया जाना पाया जाता है। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख नामांतरकरण संख्या 1622 दिनांक 25.12.2010 के मुताबिक पक्षकारान् के मध्य आपसी सहमति से वादग्रस्त आराजी का बंटवाड़ा होना प्रतीत होता है तथा नामांतरकरण की पुश्त पर तरमीम भी अंकित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन तथ्यों पर गौर किये बिना तथा प्रकरण में साक्ष्य-सबूत लिये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किया जाना पाया जाता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री विधिसम्मत नहीं पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरते है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक) फलोदी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 25/2021 अनवान पप्पूसिंह बनाम गोरधनसिंह इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20 दिसंबर 2022 को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ

11.7.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को जवाब प्रस्तुति का अवसर प्रदान करते हुए दावे एवं जवाब दावे के आधार पर मामले में तनकियात कायम कर, उस पर उभय पक्ष को साक्ष्य प्रस्तुति का समुचित प्रदान करते हुए विधिसम्मत निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

11.x.23

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर